भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा

114. श्री विजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए दिए जाने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख) कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों पर आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3000/-रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन देने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है जो स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के ऐसे असंगठित कामगार इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये या कम है और वे ईपीएफओ /ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत मासिक अंशदान का भुगतान करना होता है और इतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

इसी पद्धति पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शुरू की गई है। वे सभी लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है और जो 18 से 40 वर्ष आयु समूह में आते हैं और जिनके नाम 01.08.2019 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 117

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कार्यबल

***117. श्रीमती अपराजिता सारंगी**:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) असंगठित क्षेत्र में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार और विशेषकर ओडिशा में भारतीय कार्यबल का कुल कितना प्रतिशत है;

(ग) असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक मौजूदगी के लिए सरकार द्वारा चिन्हित किए गए कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस समय असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में रूपांतरित करना व्यवहार्य है, यदि हां, तो इसे किस तरह से किया जा सकता है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

*** *****

श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यबल से संबंधित दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 1(1) के अनुसार असंगठित क्षेत्र को "एक ऐसे उपक्रम जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्व-नियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहां कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो" के रुप में परिभाषित किया गया है।

(ख) असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अद्यतन आकलन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, पीएलएफएस के वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई,2017- जून, 2018) से लिए गए अनुमान अनुबंध-I के तालिका 1,2 और 3 पर दिए गए हैं। इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी और व्यापक संरचना अनुबंध -II पर दी गई है।

(ग) और (घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिक चिंता है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं यथा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, उच्च निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करना और विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी क्षेत्रों के सभी नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के सम्पूर्ण अंशदान (12 प्रतिशत अथवा यथा अनुमेय) राशि को ईपीएफ एवं ईपीएस के अंशदान के रूप में तीन वर्षों तक भुगतान करती है। इस योजना का दोहरा लाभ है जिसमें एक ओर नियोक्ता किसी प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पाएगा, वहीं दूसरी ओर संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक इन कामगारों की पहुंच संभव होगी। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक कामगारों की बड़ी संख्या को औपचारिक कार्यबल के दायरे में लाना है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र के श्रमिकों सहित, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं का उपबंध विद्यमान है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना को आरम्भ किया है जो कि एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके माध्यम से असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु करने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम आश्वासित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/-रूपये अथवा कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अंशदान का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और समान मैचिंग अंशदान का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

तालिका 1: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए सामान्य स्थिति(यूजुअल स्टेटस) (प्राथमिक क्षेत्र + द्वितीय क्षेत्र) (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू पी आर) (प्रतिशत में)

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	डब्ल्यू पी आर (प्रतिशत में)
(1)	(10)
आंध्र प्रदेश	45.0
अरुणाचल प्रदेश	30.7
असम	32.9
बिहार	23.6
छत्तीसगढ़	45.7
दिल्ली	32.8
गोवा	34.7
गुजरात	36.2
हरियाणा	30.5
हिमाचल प्रदेश	46.4
जम्मू और कश्मीर	38.6
झारखंड	28.8
कर्नाटक	38.1
केरल	32.4
मध्य प्रदेश	40.0
महाराष्ट्र	39.2
मणिपुर	32.1
मेघालय	41.5
मिजोरम	36.0
नगालैंड	25.9
ओडिशा	33.8
पंजाब	33.8
राजस्थान	34.2
सिक्किम	47.0
तमिलनाडु	40.5
तेलंगाना	39.3
त्रिपुरा	33.8
उत्तराखंड	30.7
उत्तर प्रदेश	28.7
पश्चिम बंगाल	37.3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.4
चंडीगढ़	35.6
दादरा और नगर हवेली	45.8
दमन और दीव	50.9
लक्षद्वीप	26.0
पुडुचेरी	30.1
अखिल भारतीय	**34.7**
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट,पीएलएफएस, 2017-18	

तालिका 2: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए उद्योग कार्य में सामान्य रूप से कार्यरत व्यक्तियों(पीएस+एसएस) का प्रतिशत आंबटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआईसी के उद्योग वर्ग 2008 -																					
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	समस्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
आंध्र प्रदेश	49.78	0.44	9.73	0.32	0.20	10.02	8.25	5.96	2.63	0.51	0.89	0.24	0.42	0.56	1.25	3.11	1.41	0.13	2.74	1.41	0.00	100.00
अरुणाचल प्रदेश	50.08	0.00	1.53	0.26	0.63	3.93	15.52	6.16	0.72	0.29	0.38	0.00	0.30	0.21	7.31	9.83	0.74	0.10	0.64	1.35	0.00	100.00
असम	45.47	0.34	6.65	0.13	0.03	9.94	14.11	5.33	0.93	0.17	0.42	0.07	0.40	1.93	2.08	6.22	1.48	0.09	1.49	2.74	0.00	100.00
बिहार	45.10	0.07	8.93	0.06	0.03	16.30	11.83	3.59	1.85	0.54	0.90	0.18	0.86	1.17	0.58	4.07	0.75	0.56	1.96	0.67	0.00	100.00
छत्तीसगढ़	67.50	0.50	4.40	0.86	0.22	9.31	6.20	1.91	1.16	0.18	0.40	0.06	0.19	0.26	1.45	3.05	1.01	0.22	0.90	0.22	0.00	100.00
दिल्ली	1.21	0.24	23.69	0.60	0.77	7.31	19.83	9.78	5.43	2.76	2.05	1.04	1.84	4.88	3.40	3.34	2.51	0.19	5.61	3.49	0.00	100.00
गोवा	8.47	0.98	18.03	1.34	0.84	8.89	12.70	8.12	8.10	0.36	3.33	1.02	0.71	0.65	10.01	7.11	2.10	0.18	2.27	4.79	0.00	100.00
गुजरात	42.43	0.35	20.04	0.39	0.39	6.16	10.84	5.91	1.33	0.96	1.42	0.11	0.90	0.89	1.17	2.40	1.30	0.14	1.92	0.94	0.01	100.00
हरियाणा	27.41	0.17	19.50	0.72	0.52	12.93	11.65	8.08	0.92	1.47	1.46	0.62	1.80	1.30	1.90	4.55	1.52	0.07	2.73	0.68	0.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	55.61	0.02	6.18	0.70	0.47	14.74	4.53	4.20	1.64	0.15	0.48	0.02	0.46	1.56	2.17	4.58	0.82	0.12	1.36	0.17	0.00	100.00
जम्मू और कश्मीर	40.74	0.15	7.41	0.44	1.28	16.54	9.51	5.41	1.05	0.38	0.73	0.07	0.67	0.71	6.26	5.33	1.77	0.26	1.08	0.21	0.00	100.00
झारखंड	46.75	1.48	8.69	0.22	0.23	18.54	7.92	4.20	1.61	0.17	0.55	0.20	0.44	0.97	1.48	3.58	0.81	0.04	1.65	0.46	0.00	100.00
कर्नाटक	45.72	0.31	12.29	0.28	0.23	7.92	8.91	6.24	2.91	2.21	1.24	0.44	0.79	1.02	1.76	3.87	1.31	0.17	1.64	0.72	0.00	100.00
केरल	19.85	0.26	11.31	0.40	0.25	19.11	14.02	9.21	2.74	1.47	2.97	0.22	1.32	1.68	2.11	4.96	3.46	0.60	2.70	1.38	0.00	100.00
मध्य प्रदेश	60.59	0.51	6.10	0.37	0.19	11.45	6.98	2.53	0.89	0.31	0.87	0.08	0.47	0.71	1.49	3.54	0.83	0.09	1.31	0.68	0.00	100.00
महाराष्ट्र	47.79	0.13	11.74	0.26	0.16	5.75	9.35	5.15	1.69	1.66	1.80	0.15	1.48	1.48	2.04	3.83	1.35	0.41	2.24	1.52	0.03	100.00
मणिपुर	36.41	0.15	12.06	0.03	0.09	7.10	11.76	5.35	1.05	0.43	0.49	0.00	0.92	5.23	5.76	8.36	2.50	0.12	1.69	0.50	0.00	100.00
मेघालय	56.27	0.70	1.77	0.15	0.00	10.79	7.26	3.83	2.11	0.26	0.21	0.02	0.20	1.03	3.40	6.09	2.68	0.37	1.08	1.78	0.00	100.00
मिजोरम	43.97	1.01	4.19	0.22	0.20	7.78	11.72	3.78	0.77	0.27	0.09	0.03	0.42	4.28	8.21	9.12	1.85	0.00	0.98	1.13	0.00	100.00
नागालैंड	36.79	0.06	5.68	0.29	2.01	0.27	10.72	5.43	0.62	0.42	0.12	0.00	1.27	12.76	4.80	9.74	1.66	0.15	7.12	0.07	0.00	100.00
ओडिशा	48.76	1.17	7.42	0.33	0.23	17.29	8.54	4.42	1.18	0.39	0.53	0.12	0.54	0.88	1.18	3.67	0.75	0.12	1.99	0.49	0.00	100.00
पंजाब	26.04	0.12	18.88	0.51	0.27	13.32	15.19	4.63	1.57	0.77	1.62	0.18	0.76	1.08	2.79	5.87	1.28	0.73	2.89	1.51	0.00	100.00
राजस्थान	49.57	1.72	9.06	0.51	0.42	14.35	8.28	3.47	1.17	0.29	0.71	0.33	0.62	1.05	1.75	3.41	0.73	0.30	1.86	0.41	0.00	100.00
सिक्किम	41.48	0.22	6.91	1.07	0.54	6.75	10.68	4.75	5.12	0.24	0.80	0.33	0.85	0.92	6.84	6.39	3.80	0.77	1.55	0.00	0.00	100.00
तमिलनाडु	27.74	0.37	19.45	0.52	0.35	14.23	10.92	6.12	2.96	2.59	1.53	0.33	1.03	1.87	1.29	3.68	1.39	0.33	1.88	1.42	0.00	100.00
तेलंगाना	43.43	0.58	12.29	0.58	0.13	9.00	8.80	5.58	1.27	3.13	1.56	0.31	1.24	1.16	1.59	3.22	1.37	0.18	2.06	2.51	0.00	100.00
त्रिपुरा	29.05	0.16	6.96	0.07	0.05	13.99	17.11	7.45	0.86	0.16	0.36	0.00	1.02	2.38	6.11	6.28	1.07	0.07	2.33	4.51	0.00	100.00
उत्तराखंड	42.53	0.11	9.40	0.48	0.14	9.86	11.33	5.48	2.54	0.35	1.04	0.36	0.73	2.27	2.20	7.50	1.59	0.33	1.45	0.30	0.00	100.00
उत्तर प्रदेश	48.75	0.08	11.38	0.19	0.25	13.49	10.85	3.70	1.83	0.42	0.48	0.16	0.66	0.71	1.09	3.15	0.82	0.27	1.47	0.24	0.00	100.00
पश्चिम बंगाल	36.56	0.36	17.80	0.15	0.15	11.55	11.11	5.70	2.28	0.66	0.68	0.14	0.73	1.46	1.17	4.06	1.10	0.44	1.75	2.15	0.00	100.00
अंडमान और निकोबार द्वीप	15.47	0.25	6.13	1.55	0.23	15.98	9.37	8.68	3.79	1.00	0.66	0.00	1.19	1.97	21.23	3.52	6.35	0.08	0.41	2.13	0.00	100.00
चंडीगढ़	0.46	0.00	15.15	2.74	0.14	5.19	16.84	5.48	6.05	1.82	2.94	0.49	3.95	3.32	14.86	5.66	4.76	0.56	3.14	6.47	0.00	100.00
दादरा और नगर हवेली	19.82	0.00	57.36	1.50	0.00	1.83	3.91	4.57	1.83	0.75	0.11	0.00	0.45	0.96	1.24	4.01	1.26	0.12	0.08	0.21	0.00	100.00
दमन और दीव	2.51	0.00	61.30	0.57	0.00	2.84	11.54	1.58	2.78	0.01	1.87	0.00	0.38	1.85	4.66	3.79	0.76	0.00	0.86	2.70	0.00	100.00
लक्षद्वीप	25.67	0.00	1.33	1.45	0.00	13.33	4.69	8.82	6.40	3.22	0.90	0.00	3.41	2.01	9.06	11.66	4.52	1.15	2.40	0.00	0.00	100.00
पुडुचेरी	11.57	0.00	17.42	1.25	0.39	13.95	14.07	8.11	2.12	3.94	0.92	0.06	2.02	3.29	3.12	7.39	3.99	0.62	5.26	0.53	0.00	100.00
अखिल भारतीय	44.14	0.41	12.13	0.34	0.25	11.67	10.09	4.93	1.87	0.99	1.05	0.21	0.83	1.19	1.62	3.78	1.20	0.28	1.92	1.08	0.00	100.00

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2017-18

तालिका 3: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए फसलों की पैदावार को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागवानी, हार्टीकल्चर तथा पशुपालन सहित फसल उत्पादन एवं एवं गैर-कृषि क्षेत्र को छोड़कर अनौपचारिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामागरों का प्रतिशत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अनौपचारिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों की प्रतिशत**
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	78.3
अरुणाचल प्रदेश	48.2
असम	61.9
बिहार	63.4
छत्तीसगढ़	74.6
दिल्ली	60.2
गोवा	43.2
गुजरात	67.1
हरयाणा	67.0
हिमाचल प्रदेश	48.3
जम्मू और कश्मीर	66.8
झारखंड	66.5
कर्नाटक	65.5
केरल	67.3
मध्य प्रदेश	64.8
महाराष्ट्र	56.8
मणिपुर	50.8
मेघालय	46.9
मिजोरम	44.2
नगालैंड	20.1
ओडिशा	66.9
पंजाब	74.0
राजस्थान	73.7
सिक्किम	53.1
तमिलनाडु	60.0
तेलंगाना	59.9
त्रिपुरा	67.9
उत्तराखंड	54.3
उत्तर प्रदेश	85.4
पश्चिम बंगाल	76.8
एक और एन द्वीप	53.3
चंडीगढ़	56.7
दादरा और नगर हवेली	31.7
दमन और दीव	25.9
लक्षद्वीप	39.5
पुडुचेरी	47.8
अखिल भारतीय	**68.4**
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18	

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1. कामगार की परिभाषा (नियोजित व्यक्ति): वे व्यक्ति जो, संदर्भ अवधि के दौरान, किसी आर्थिक गतिविधि में कार्यसंलग्न थे या जो, आर्थिक गतिविधि से उनकी संलग्नता के बावजूद बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक अपंगता, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक या धार्मिक समारोहों अथवा अन्य आकस्मिकताओं के कारण अस्थायी रूप से काम से अलग रहे, कामगार कहलाते हैं।
2. यूजुअल स्टेटस वर्कर (ps+ss) की परिभाषा: यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस (ps) और सबसीडियरी स्टेटस (ss) पर एक-साथ विचार करके यूजुअल स्टेटस वर्कर (ps+ss) ज्ञात किया जाता है। यूजुअल स्टेटस के कामगारों (ps+ss) में (क) वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिन की अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक काम किया हो तथा (ख) शेष जनसंख्या में से वे व्यक्ति शामिल हैं जो सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिन के संदर्भ अवधि के दौरान कम-से-कम 30 दिन काम कर चुके थे।

कामगार जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर) = नियोजित व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या * 100

3. स्वामित्व वाला उद्यम: जब एक व्यक्ति किसी उद्यम का एक मात्र स्वामी होता है तो वह स्वामित्व वाला उद्यम होता है। निजी उपयोग हेतु अचल परिसम्पत्तियों का स्व-उत्पादन, जब एकल सदस्य द्वारा उत्पादित हो, स्वामित्व संबंधी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. साझेदारी वाला उद्यम साझेदारी को 'उन व्यक्तियों के बीच संबंध जो चलाए जाने वाले व्यवसायों के लाभों को सभी के द्वारा अथवा सभी के लिए आचरण करने वाले उनमें से किसी एक द्वारा साझा किए जाने के लिए सहमत हों'के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक पंजीकरण के साथ या इसके बिना, साझेदारी के आधार पर एक ही या अलग-अलग परिवारों से संबंध रखने वाले दो या इससे अधिक स्वामी हो सकते हैं (जहां तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के बारे में मौन सहमति हो) अचल परिसम्पत्तियों का स्व-उत्पादन, जब एक ही या अलग-अलग परिवारों से संबंध रखने वाले दो या इससे अधिक स्वामियों द्वारा उत्पादित हो, साझेदारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अत: परिवार समूह द्वारा समुदाय के प्रयोजनार्थ अचल परिसंपत्तियों का स्व-उत्पादन, साझेदारी वाले उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

5. अनौपचारिक क्षेत्र: स्वामित्व और साझेदारी वाले उद्यमों को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है।

6. **एनआईसी-2008 की व्यापक संरचना**

प्राथमिक क्षेत्र (खंड क)

समूह 014: वन्य प्राणी प्रजनन
समूह 016: कृषि तथा कटाई के उपरांत फसल संबंधी गतिविधियों के लिए सहायक गतिविधियां
समूह 017: शिकार, ट्रैपिंग तथा संबंधित सेवाओं की गतिविधियां
भाग 02: वानिकी एवं लॉगिंग
भाग 03: मत्स्य पालन एवं जल प्रसंस्करण (एक्वा कल्चर)

द्वितीयक क्षेत्र (खंड ख से खंड च)

खंड ख: खनन एवं क्वैरिंग
खंड ग: विनिर्माण
खंड घ: विद्युत, गैस, वाष्प तथा वातानुकूलन आपूर्ति
खंड ङ: जलापूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और निराकरण संबंधी गतिविधियां
खंड च: निर्माण

तृतीयक क्षेत्र (खंड छ से खंड प)

खंड छ: थोक तथा खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत
खंड ज: परिवहन एवं भंडारण
खंड झ: आवास एवं खाद्य सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड ञ: सूचना एवं संचार
खंड ट: वित्तीय एवं बीमा संबंधी गतिविधियां
खंड ठ: रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां
खंड ड: व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां
खंड ढ: प्रशासनिक एवं सहायक सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड ण: लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा
खंड त: शिक्षा
खंड थ: मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक संबंधी गतिविधियां
खंड द: कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद
खंड ध: अन्य सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड न: नियोक्ताओं के रूप में पारिवारिक गतिविधियां; अविभेद्य वस्तु एवं अपने उपयोग के लिए परिवार की सेवा उत्पादक गतिविधियां ,
खंड प: जलतटीय संगठनों एवं निकायों से अलग गतिविधियां

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 124

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत पंजीकरण

124. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया है और यदि हां, तो योजना के अंतर्गत कितने लोगों को पंजीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्यक्षेत्र/राज्य-वार कितने पंजीकरण किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मासिक किस्त जमा करने हेतु कोई आयु-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो उक्त योजना में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली मासिक किस्त की राशि का ब्यौरा क्या है और जमा करने की विधि क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): दिनांक 14.11.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत किए गए कुल नामांकनों की संख्या 32,98,424 है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत किए गए नामांकनों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ग): यह नामांकन इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मासिक अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से काटा जा रहा है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने इस योजना को प्रसिद्धि देने तथा इसके बारे में अधिकाधिक जागरूकता लाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में पहल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर वीडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

(घ): 18-40 वर्ष की आयु समूह के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये या इससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत, 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा इसके समान अंशदान की राशि का केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि प्रबंधक है। केन्द्र सरकार मासिक अंशदान का अपना हिस्सा जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जारी करती है तथा एलआईसी को समय-समय पर पेंशन निधि में मासिक अंशदान जमा कराने में समर्थ बनाती है। फरवरी, 2019 में इस योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक, अंशदान के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 146.49 करोड़ रुपये की कुल राशि एलआईसी को जारी की गई है।

* ****

अनुबंध-क

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

संघ राज्य क्षेत्र-वार / राज्य-वार नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	14.11.2019 की स्थिति के अनुसार नामांकनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	52446
2	अरुणाचल प्रदेश	1445
3	असम	12793
4	बिहार	164086
5	छत्तीसगढ़	113122
6	गोवा	366
7	गुजरात	360111
8	हरियाणा	615572
9	हिमाचल प्रदेश	33029
10	जम्मू और कश्मीर / लद्दाख	64474
11	झारखंड	125751
12	कर्नाटक	60516
13	केरल	9009
14	मध्य प्रदेश	112945
15	महाराष्ट्र	571941
16	मणिपुर	2903
17	मेघालय	1670
18	मिजोरम	547
19	नगालैंड	2336
20	उड़ीसा	143672
21	पंजाब	30706
22	राजस्थान	93026
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53334
25	तेलंगाना	25416
26	त्रिपुरा	15553
27	उत्तर प्रदेश	536490
28	उत्तराखंड	25944
29	पश्चिम बंगाल	57136
30	अंडमान और निकोबार	1340
31	चंडीगढ़	1499
32	दादरा और नागर हवेली	675
33	दमन और दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6917
36	पुडुचेरी	1116
	कुल	3298424

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-190

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा

190. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री ए॰ के॰ पी॰ चिनराजः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अधिक बेरोजगारी वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों, अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग/महिलाओं के मध्य बेरोजगारों की संख्या का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है और बेरोजगारी उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ऐसे बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। देश में

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों हेतु सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर (% में)					
क्षेत्र	लिंग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सभी
ग्रामीण	*पुरूष*	4.9	6.4	5.7	5.8
	महिला	2.2	3.2	3.8	3.8
	व्यक्ति	4.0	5.6	5.3	5.3
शहरी	*पुरूष*	7.0	8.2	6.9	7.1
	महिला	7.6	10.5	10.9	10.8
	व्यक्ति	7.1	8.8	7.8	7.8
ग्रामीण + शहरी	*पुरूष*	5.1	6.8	6.1	6.2
	महिला	2.6	4.9	5.7	5.7
	व्यक्ति	4.3	6.3	6.0	6.1

दिव्यांग बेरोजगारों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में 2016 के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले दिव्यांग, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, उपलब्ध सीमा तक 6.85 (अनंतिम) लाख थे।

(घ) से (च): भारत सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं कर रही है। इसके अलावा, कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशिलता मंत्रालय (एमएसडीई) दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है। मंत्रालय राष्ट्र के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं भी चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने की दिशा में बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, नामतः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ये योजनाएं सभी नागरिकों को बैंक खातों से ऑटो-डेबिट सुविधा से जुड़े सुविधाजनक तरीके से आवश्यक और सस्ती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और सभी पर लागू होती हैं। 01-10-2019 को, बैंकों द्वारा पात्रता मापदंड के सत्यापन के तहत नामांकन की कुल संख्या, पीएमएसबीवाई में 16.56 करोड़ और पीएमजेजेबीवाई में 6.29 करोड़ है। जहां तक एपीवाई का संबंध है, इस योजना के तहत 30-09-2019 को कुल 1.86 करोड़ व्यक्तियों ने नामांकन किया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

पेंशन में बढ़ोतरी

1157. शा.ब्र डॉ जय सिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोलापुर में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसकी अल्प राशि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है; और

(घ) क्या मंत्रालय का इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने पात्रता के आधार पर असंगठित कामगारों के लाभ के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की है जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर लाभार्थियों को न्यूनतम 3,000/- रूपये की मासिक पेंशन देना सुनिश्चित है। 18-40 वर्ष की आयु समूह के सभी असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रूपये तक है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राष्ट्रीय पेंशन प्राणाली (सरकार द्वारा अंशदायी) के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता भी नहीं हैं वे इस स्कीम के अंतर्गत अपना नामांकन कराने के पात्र हैं। अभिदाता से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान करे और इतनी ही राशि का अंशदान केंद्रीय सरकार करेगी। इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत देशभर में किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन कराया जा सकता है।

इसके अलावा दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के तहत पेंशनधारकों के लिए 01.09.2014 से 1,000/- रूपये की न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है जो उन पर प्रतिष्ठानों पर लागू है जो अनुसूची - I में उद्योगों और प्रतिष्ठानों की श्रेणी से संबंधित हैं तथा जिनमें कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे अधिक है। ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मई, 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई, और 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते अथवा डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से एपीवाई में शामिल होने के पात्र हैं। चुनी गई पेंशन योजना के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को एपीवाई के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी मृत्यु होने तक 1,000/- रूपये प्रतिमाह, अथवा 2,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 3,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 4,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 5,000/- रूपये प्रतिमाह की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1197

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

भविष्य निधि से संबंधित मामलों का निपटान

1197. श्री जय प्रकाश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयकर विभाग की तर्ज पर भविष्य निधि से संबंधित मामलों के समय पर निपटान के लिए कोई प्रभावी कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, हां। प्रस्ताव पूर्व - विधायी स्तर पर है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1284

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

निर्माण कामगार

1284. श्री ए.नारायण स्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से कर्नाटक में वर्ष 2017 में निर्माण कामगारों को जारी किए गए पहचान-पत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा आज की तिथि तक निर्माण कामगार कल्याण उप-कर के अंतर्गत कुल कितनी राशि संग्रहित और व्यय की गई है; और

(ग) कर्नाटक में निर्माण कामगारों के लिए क्रियान्वयन की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्डों को ऐसे प्रत्येक बीओसी कामगार, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो और जो बीओसी कार्य में पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक कार्यरत रहा हो, उसके लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए अधिदेश देता है और प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान-पत्र प्रदान करता है। ऐसे निर्माण कामगार, जिन्हें राज्य बोर्डों द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है, की संख्या का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि,लाभार्थी के रूप में राज्य बोर्डों द्वारा पंजीकृत बीओसी कामगारों की संचयी संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि उसने बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर के रूप में आदिनांक 6252.84 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं और 734.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

(ग): कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पंजीकृत बीओसी कामगारों और उनके आश्रितों के लिए 15 कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिनका विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

*****

अनुबंध–।

श्री ए.नारायण स्वामी द्वारा निर्माण कामगारों से संबंधित दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बोर्ड से पंजीकृत कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	18,15,889
2	अरुणाचल प्रदेश	30,841
3	असम	2,48,871
4	बिहार	12,39,470
5	छत्तीसगढ़	19,39,898
6	गोवा	5,117
7	गुजरात	6,54,550
8	हरियाणा	8,56,980
9	हिमाचल प्रदेश	1,74,968
10	जम्मू और कश्मीर	3,42,295
11	झारखंड	7,96,146
12	कर्नाटक	15,42,432
13	केरल	15,26,861
14	मध्य प्रदेश	30,97,889
15	महाराष्ट्र	16,10,619
16	मणिपुर	1,18,332
17	मेघालय	28,836
18	मिजोरम	52,947
19	नगालैंड	11,912
20	ओडिशा	27,15,058
21	पंजाब	8,67,223
22	राजस्थान	22,22,924
23	सिक्किम	36,236
24	तमिलनाडु	28,28,553
25	तेलंगाना	11,75,531
26	त्रिपुरा	99,762
27	उत्तर प्रदेश	48,56,323
28	उत्तराखंड	2,32,627
29	पश्चिम बंगाल	31,01,362
30	दिल्ली	5,40,631
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15,126
32	चंडीगढ़	21,498
33	दादरा और नागर हवेली	2,176
34	दमन और दीव	5,149
35	लक्षद्वीप	176
36	पुडुचेरी	47,080
	कुल	3,48,62,288

श्री ए.नारायण स्वामी द्वारा निर्माण कामगारों से संबंधित पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

बोर्ड से पंजीकृत कामगारों के लिए कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ

1. पेंशन- {धारा 22(1)(ख) के साथ पठित नियम 39}: लाभार्थी के रूप में 3 वर्ष पूरे करने के पश्चात 1,000/-रुपये प्रतिमाह
2. नि:शक्तता पेंशन- {धारा 22(1)(ख) के साथ पठित नियम 40}: नि:शक्तता की प्रतिशतता के आधार पर 1,000/-रुपये प्रतिमाह और 2,00,000/-रुपये तक की अनुग्रह राशि का भुगतान
3. श्रम सामर्थ्य टूल किट-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम {धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 41}: 20,000/-रुपये
4. आवासन (कार्मिक गृहभाग्य) {धारा 22(1)(ग) के साथ पठित नियम 42}: 2,00,000/-रुपये
5. मातृत्व सहायता (ताई लक्ष्मी बॉड)-{धारा 22(1)(छ) के साथ पठित नियम 43}:बालिका के जन्म की स्थिति में 30,000/-रुपये की सहायता और बालक के जन्म की स्थिति में 20,000/-रुपये की सहायता (प्रथम दो बच्चों के लिए)
6. अंत्येष्टि व्यय- {धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 44}: मृत निर्माण कामगार की अंत्येष्टि व्यय को पूरा करने के लिए 4,000/-रुपये की सहायता और 50,000/- की अनुग्रह राशि
7. शैक्षिक सहायता- (कलिके भाग्य) {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 45}: (पंजीकृत निर्माण कामगार के दो बच्चों के लिए)

   - पहली, दूसरी तथा तीसरी कक्षा पास करने पर 2,000/-रुपये
   - चौथी, पांचवी तथा छठी कक्षा पास करने पर 3,000/-रुपये
   - सातवीं और आठवीं कक्षा पास करने पर 4,000/-रुपये
   - नवीं तथा दसवीं कक्षा पास करने और पहली पीयूसी पर 6,000/-रुपये
   - दूसरी पीयूसी पर 8,000/-रुपये
   - आईटीआई अथवा दो वर्ष के प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स करने पर 7,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
   - डिग्री कोर्स पास करने पर 10,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
   - मास्टर्स डिग्री पास करने पर 20,000/-रुपये प्रवेश के लिए और 10,000/-रुपये (प्रत्येक वर्ष पास करने पर)
   - **इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल कोर्स में प्रवेश (बीई अथवा एमबीबीएस में मेरिट सीट लेने पर)** बीई में प्रवेश के लिए 25,000/-रुपये और 20,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष पास करने के पश्चात् जो पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम वर्षों की संख्या के अध्यधीन है।
   - एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 30,000/-रुपये और 25,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष पास करने के पश्चात् जो पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम वर्षों की संख्या के अध्यधीन है।
   - **डॉक्ट्रल अनुसंधान के लिए प्रवेश हेतु-** 20,000/-रुपये प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात (अधिकतम दो वर्षों के लिए) और तत्पश्चात् अतिरिक्त 20,000/-रुपये शोध-पत्र की स्वीकृति के पश्चात

<u>मेधा सहायता</u>

I. एसएसएलसी अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 5,000/-रुपये
II. पीयूसी अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 7,000/-रुपये
III. डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 10,000/-रुपये
IV. मास्टरर्स डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 75% से अधिक अंक के लिए 15,000/-रुपये

8. चिकित्सा सहायता (कार्मिक आरोग्य भाग्य)- {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 46}: अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 300/-रुपये प्रति दिवस जो अस्पताल में भर्ती होने की निरंतर अवधि के लिए अधिकतम 10,000/-रुपये
9. दुर्घटनावश मृत्यु होने/स्थायी अपंगता-{धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 47}: 5,00,000/-रुपये तक
10. मुख्य बीमारियों के ईलाज के लिए(कार्मिक चिकित्सा भाग्य): {धारा 22(1)(ङ) के साथ पठित नियम 48}: **2,00,000/- रुपये तक**:- मुख्य बीमारी नामत: हृदय का आपरेशन, किडनी प्रत्यारोपण एवं कैंसर, ऑखों का आपरेशन, लकवा, हड्डी रोग संबंधी आपरेशन, यूट्रस का आपरेशन, अस्थमा, गर्भपात, पित्त की थैली संबंधी रोग, किडनी से पत्थर हटाना, ब्रेन हेमरेज, अल्सर, डायलिसिस, किडनी संबंधी शल्य चिकित्सा, ईएनटी संबंधी ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, न्यूरो सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, इसोफेगस संबंधी ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, स्तन संबंधी रोगों का ईलाज एवं शल्य चिकित्सा, हर्निया सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी,हड्डी की टूट-फूट/ डिस्लोकेशन, सामान्य सर्जरी, (सीजीएचएस दरों के अध्यधीन)
11. विवाह सहायता (गृह लक्ष्मी बॉड)- -{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49}: **50,000/-रुपये**-लाभार्थी अथवा उसके दो बच्चों को विवाह के लिए सहायता
12. पंजीकृत निर्माण कामगारों को एलपीजी कनेक्शन (कार्मिक अनिल भाग्य) -{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49घ}: कनेक्शन के साथ-साथ दो बर्नर वाला एक स्टोव और उसके परिवार के लिए रिफिल की सुविधा
13. बीएमटीसी बस पास--{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49ङ}: पंजीकृत निर्माण कामगारों को बंगलुरू मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्टेशन कार्पोरेशन (बीएमटीसी) की बसों में यात्रा के लिए नि:शुल्क बस पास की सहायता
14. केएसआरटीसी बस पास--{धारा 22(1)(ज) के साथ पठित नियम 49च}: पंजीकृत निर्माण कामगारों के बच्चों को केएसआरटीसी की बसों में यात्रा के लिए नि:शुल्क बस पास की सहायता
15. पंजीकृत महिला निर्माण कामगारों के बच्चों को पूर्व स्कूली शिक्षा तथा पोषणाहार सहायता-ताईमागु सहायाहस्त: --{धारा 22(1)(छ) के साथ पठित नियम 43क}: 6000/-रुपये (500/-रुपये प्रतिमाह की दर से)।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1296

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

काजू के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी

1296. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1952 के पैरा 9 (ए) की व्याख्या के साथ पठित कर्मचारियों के पीएफ योजना 1952 के पैरा 2(केके) के तहत यथा परिभाषित सभी काजू क्षेत्र के कर्मचारियों को मौसम कारखाने के कर्मचारियों के रूप में परिभाषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि पीएफ उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 9 में संशोधन कर वास्तविक सेवा को अंशदायी सेवा से प्रतिस्थापित करते हुए गरीब काजू श्रमिकों को पीएफ पेंशन लाभ से वंचित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार तालुका स्तर पर पीएफ अदालत लगाना चाहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): काजू क्षेत्र के कर्मचारियों को पहले से ही कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 9 (क) के स्पष्टीकरण के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैरा 2(टट) के प्रावधानों के अंतर्गत मौसमी कामगार माना गया है।

(घ) और (ड.): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंचलिक कार्यालय, केरल द्वारा पेंशन के लिए काजू कामगारों की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और इसका स्पष्टीकरण ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा दिया गया और ईपीएफओ मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम काजू कामगारों को मौसमी प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारी मानते हुए पेंशन दावों के आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है।

(च): निधि आपके निकट, जिसे पूर्व में भविष्य निधि अदालत के नाम से जाना जाता था, हर महीने की 10 तारीख को (अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में) आयोजित किया जाता है। निधि आपके निकट का आयोजन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तालुक सहित कार्यालय के अंदर और बाहर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान नवम्बर महीने तक तालुक स्तर पर कुल 103 निधि आपके निकट का आयोजन किया गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1330

सोमवार, 25 नबम्वर, 2019/ 04 अग्रहायण, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

1330. श्री पंकज चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का भविष्य सुधारने हेतु ईपीएफ और ईएसआई सुविधओं में और सुधर करने की संभावना है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ): अब तक ईपीएफ और ईएसआई के अन्तर्गत कवर किए गए कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों पर लागू नहीं होती है। ईएसआई योजना 10 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों (मौसमी कारखानों को छोड़कर) पर लागू है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले अनुसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

(ग): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह केन्द्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है।

(घ): ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों का राज्यवार संख्या का ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत शामिल श्रमिकों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

****

**

अनुबंध-क

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के संबंध में श्री पंकज चौधरी द्वारा दिनांक 25.11.2019 के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या (31.03.2019 के अनुसार)	
राज्य	**बीमित व्यक्तियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	1290950
उत्तर पूर्वी राज्य (आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम)	317000
बिहार	283220
छत्तीसगढ	620480
दिल्ली	1716640
गोवा	285300
गुजरात + (दादरा और नागर हवेली + दमन और द्वीप)	1627460
हरियाणा	2809260
हिमाचल प्रदेश	340500
जम्मू और कश्मीर	238200
झारखंड	422510
कर्नाटक	3473410
केरल + (लक्षद्वीप)	1054120
मध्य प्रदेश	1047260
महाराष्ट्र	4847980
ओडिशा	681980
पुदुचेरी + अंडमान और निकोबार	121570
पंजाब	1337010
राजस्थान	1492990
तमिलनाडु	4300200
तेलंगाना	1817770
उत्तर प्रदेश	2263350
उत्तराखंड	655830
पश्चिम बंगाल	1922090
कुल	**34967080**

अनुबंध-ख

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के संबंध में श्री पंकज चौधरी द्वारा दिनांक 25.11.2019 के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विभिन्न राज्यों में राज्यवार योगदान देने वाले सदस्य (वेतन माह सितम्बर, 2019)			
क्र. सं.	**राज्य**	**प्रतिष्ठानों की संख्या**	**सदस्यों द्वारा योगदान**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	363	14822
2	आंध्र प्रदेश	16559	1108094
3	अरुणाचल प्रदेश	312	5535
4	असम	5151	255630
5	बिहार	5700	444460
6	चंडीगढ़	5916	413146
7	छत्तीसगढ	7446	442501
8	दिल्ली	26631	2839958
9	गोवा	2712	183682
10	गुजरात	44451	3138057
11	हरियाणा	23038	2414602
12	हिमाचल प्रदेश	5691	320190
13	झारखंड	8065	463855
14	कर्नाटक	43983	5525733
15	केरल	15466	1057707
16	मध्य प्रदेश	17672	1084438
17	महाराष्ट्र	84720	9433986
18	मणिपुर	386	14205
19	मेघालय	686	34382
20	मिजोरम	104	3578
21	नागालैंड	229	8208
22	ओडिशा	11813	722144
23	पंजाब	15436	686797
24	राजस्थान	19786	1150298
25	तमिलनाडु	58187	5141278
26	तेलंगाना	22593	2835955
27	त्रिपुरा	663	27265
28	उत्तर प्रदेश	33183	2118934
29	उत्तराखंड	5967	540340
30	पश्चिम बंगाल	34411	2631192
	कुल	**517320**	**45060972**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1351

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ के पेंशनधारियों का चिकित्सा बीमा

1351. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधरियों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी हां। सरकार एक प्रायोगिक योजना के माध्यम से कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत 1000/- रुपये प्रतिमाह तक की न्यूनतम पेंशन ले रहे तथा दिल्ली में निवास करने वाले कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के पेंशनधारकों को चिकित्सा लाभ देने का प्रस्ताव रखती है। तथापि, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1358

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ में सदस्यों एवं पेंशनधारकों की संख्या

1358. श्रीमती क्वीन ओझा:

डॉ. भारतीबेन धीरूभाई शियाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में ईपीएफओ में सक्रिय सदस्यों एवं पेंशनधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ईपीएफओ की सुविधओं का डिजिटलीकरण किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाताधारकों को डिजिटलीकरण से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ईपीएफ निकासी के लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा उक्त मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय सदस्यों की संख्या 4.50,60, 972 है। पिछले तीन वेतन माह अर्थात अगस्त, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक अंशदान कर रहे सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन)] । पेंशनधारकों की संख्या 65,95,575 है।

(ख) और (ग): ईपीएफओ ने सदस्यों के उनके नामांकन, शेष राशि जानने, दावों का निपटान करने और सदस्य द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने हेतु सुविधाएं देने के लिए कई पहल की हैं। सदस्यों से अब यह अपेक्षित नहीं है कि वे अपना पैसा निकालने के लिए नियोक्ता से संपर्क करें। वे अपनी शेष राशि की सूचना सदस्य पोर्टल पर जाकर लॉगइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने नामांकन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनधारक और मृतक सदस्यों के लाभार्थी भी सीधे ही अपने दावे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनधारक डीजी लॉकर से अपना पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कर्मचारियों का नाम नियोक्ता द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या जो अपना आधार साझा नहीं करना चाहते हैं वे ईपीएफ मामलों के लिए सीधे ही अपना यूएएन नंबर बना सकते हैं।

(घ): लंबित दावों की संख्या गतिशील होती है जो महीने दर महीने बदलती रहती है। तथापि, 01 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त कुल दावों की संख्या में से 99.17 प्रशिशत दावों का निपटान किया गया है। ईपीएफओ ने दावों का तेजी से निपटान करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं और 20 दिनों के अंदर दावों का निपटान करने के लिए आदेशित है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2109

सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ अंशदाता

2109. श्री एस. रामलिंगम:

श्री ए. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में ईपीएफओ अंशदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक यूएएन संख्या प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक यूएएन संख्या जारी किए गए अंशदाताओं की संख्या का तमिलनाडु सहित ब्यौरा क्या है और अंशदाताओं को यह संख्या कब तक जारी की जाएगी;

(ङ) देशभर के ईपीएफओ दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संगठनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): तमिलनाडु राज्य सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अभिदाताओं की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध क में हैं।

(ख) और (ग): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) केवल एक ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं और जिनके लिए नियोक्ता को भविष्य निधि (पीएफ) और संबद्ध देय राशि का भुगतान करना होता है। ईसीआर (इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न) को जनवरी, 2017 से यूएएन आधारित बनाया गया था। यूएएन अभिदाता के लिए एक पहचान संख्या है और इसे नियोक्ताओं द्वारा सृजित किया जाता है। अभिदाताओं को अपने स्वयं के यूएएन प्राप्त करने की भी सुविधा दी गई है। आवंटित किए गए यूएएन की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार गणना अनुबंध क में हैं।

(घ): यूएएन नियोक्ता द्वारा उनके लॉगिन से सृजित किया जाता है और यूएएन सभी अधिदाताओं के लिए जेनरेट किए गए हैं क्योंकि ईसीआर (इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न) यूएएन आधारित है।

(ङ) और (च): जहाँ भी ईपीएफओ के दिशानिर्देशों का पालन न करने की सूचनाएँ ईपीएफओ के क्षेत्र कार्यालयों के ध्यान में आती हैं, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके तहत बनाई गई योजनाओं के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

* ****

अनुबंध क

'ईपीएफओ अंशदाता' से संबंधित श्री एस. रामलिंगम और श्री ए. राजा द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2109 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अगस्त-अक्तूबर, 2019 वेतन माह अवधि के दौरान प्राप्त अंशदान पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अभिदाता/सार्वभौमिक खाता संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिदाता
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14820
2	आंध्र प्रदेश	1108045
3	अरुणाचल प्रदेश	5535
4	असम	255657
5	बिहार	444461
6	चंडीगढ़	413112
7	छत्तीसगढ	442484
8	दिल्ली	2839981
9	गोवा	183662
10	गुजरात	3138076
11	हरियाणा	2414599
12	हिमाचल प्रदेश	320226
13	झारखंड	463866
14	कर्नाटक	5525740
15	केरल	1057686
16	मध्य प्रदेश	1084430
17	महाराष्ट्र	9434009
18	मणिपुर	14206
19	मेघालय	34388
20	मिजोरम	3577
21	नागालैंड	8206
22	ओडिशा	722134
23	पंजाब	686825
24	राजस्थान	1150289
25	तमिलनाडु	5141091
26	तेलंगाना	2836047
27	त्रिपुरा	27268
28	उत्तर प्रदेश	2118921
29	उत्तराखंड	540366
30	पश्चिम बंगाल	2631265
कुल		**45060972**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2160

सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

नई पेंशन योजना

2160. श्री मनोज कोटक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई पेंशन योजना लाने का विचार किया है जिसमें श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नया विधान श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है । 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में फैले 3.50 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जा रहा है। यह सुविधा ऑनलाइन नामांकन हेतु बनाई गई है। मासिक अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से काटा जा रहा है।

(ग) और (घ): सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप संहिता, 2019 संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा 9 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों को समामेलित, सरलीकृत तथा युक्तियुक्त बनाकर के तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की व्याप्ति का विस्तार करना है। वर्तमान में, सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप संहिता, 2019 पूर्व-विधायी परामर्श की प्रक्रिया के अधीन है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2163

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईएसआई अंशदान-दर

2163. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ईएसआई के दायरे को बढ़ाकर औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक कर्मियों को ईएसआई के अंतर्गत लाने हेतु ईएसआई अंशदान-दर में कटौती करने की घोषणा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ईएसआई योजना में सरकार का योगदान क्या है और इस दर-कटौती के बाद कर्मचारियों को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) देश में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कार्यदशा में सुधार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने, कामगारों की कार्यदशा सुधारने और देश में व्यापार करने की सुगमता में सुधार करने के उद्देश्य से ही सरकार ने ईएसआई अंशदान दर-कटौती की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार के इस कदम से नियोक्ता और कर्मचारियों को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(च) इस कदम के बाद सरकार पर कुल कितना बोझ पड़ेगा और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और व्यापार में सुगमता हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अंशदान की दर 01.07.2019 से 6.5% (नियोक्ता का भाग - 4.75% तथा कर्मचारी का भाग - 6.5%) से घटाकर 4% (नियोक्ता का भाग - 3.25% तथा कर्मचारी का भाग - 0.75%) कर दी गई है।

(ख): ईएसआई एक स्वं-वित्त-पोषण स्कीम है तथा भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की जाती है। दर में कटौती से पहले उपलब्ध सभी लाभ इस कटौती के बाद भी यथावत रहेंगे।

(ग): ईएसआई स्कीम, जो अब देश के 566 जिलों में उपलब्ध है, क्रमश: वर्ष 2022 तक संपूर्ण देश में विस्तारित की जानी है।

(घ): अधिक-से-अधिक कर्मचारियों को क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के दायरे में लाने के लिए ईएसआईसी अंशदान की दर 01.07.2019 से 6.5% से घटाकर 4% कर दी गई है, जैसा कि ऊपर भाग (क) में वर्णित है।

(ङ): अंशदान की दर में कटौती से नियोक्ता और कर्मचारी पर भार कम होगा तथा कवरेज के साथ-साथ अनुपालन में बढ़ोतरी होगी।

(च): चूंकि ईएसआई एक स्वं-वित्त-पोषण स्कीम है जहां व्यय नियोक्ताओं और कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान के माध्यम से जनित ईएसआई निधि से पूरा किया जाता है, इसलिए सरकार पर कोई भार नहीं है।

इसके अलावा, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने मौजूदा 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण, आमेलन और औचित्यकरण करके चार श्रम संहिताओं यथा मजदूरी संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता; तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2174

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

बुन्देलखण्ड में श्रमिकों की संख्या

2174. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुन्देलखण्ड में श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड में व्यापक श्रम आधारित उद्योगों का कोई सर्वेक्षण करवाया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की देश में बुन्देलखण्ड सहित विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को और अधिक राहत प्रदान करने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई 6वीं आर्थिक गणना द्वारा यथा प्रतिवेदित बुंदेलखंड में कामगारों से संबंधित सूचना अनुबंध में दी गई है।

(घ) और (ङ): सरकार ने संगठित क्षेत्र के विस्तार की ओर कई कदम उठाए हैं। वे निम्नानुसार हैं:

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) पहल के अंतर्गत, लाभार्थियों के पंजीकरण में सार्थक उन्नति हुई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1.2 करोड़ स्व-नियोजित व्यक्ति/ कर्मचारी लाभान्वित हुए थे, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन का संकेत है। कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है।

*

******

अनुबंध

बुन्देलखण्ड में श्रमिकों के संबध में श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2174 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार, ने देश में आर्थिक गतिविधियों की कवरेज और पहुँचने का जायजा लेने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2013 में 6 वीं आर्थिक गणना की। 6वें ईसी की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों की कुल संख्या और उनमें लगे कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिला**	**प्रतिष्ठानों की संख्या**	**कामगारों की संख्या**
1	दतिया	18627	35140
2	टीकमगढ़	28837	49079
3	छतरपुर	60355	112297
4	पन्ना	21441	40207
5	सागर	125469	234015
6	दमोह	70535	112142
7	ललितपुर	25006	49083
8	झांसी	58865	108464
9	हमीरपुर	21992	43464
10	महोबा	22856	42709
11	बांदा	34470	76791
12	जालौन	61823	104191
13	चित्रकूट	15146	29169
कुल		**565422**	**1036751**

2. **6वीं आर्थिक गणना में प्रयुक्त कामगार की (नियोजित व्यक्ति) की परिभाषा:**

"प्रतिष्ठान में फील्डवर्क की तारीख से पहले अंतिम कार्य दिवस पर काम करने वाले सभी व्यक्ति (15 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं) या तो मालिक, घर के सदस्य, सह-मालिक या साझीदार या परिवार के सदस्य प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए चाहे भाड़े पर रखे गए या नहीं, अन्य व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठान को चलाने में मालिक की मदद करने वाले नियमित या वेतनभोगी कर्मचारियों के अलावा आकस्मिक/ दैनिक मजदूरी वाले मजदूरों को प्रतिष्ठान के लिए कामगार माना जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2187

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

विभिन्न सरकारी कंपनियों का निजी कंपनियों में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

2187. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न निजी लिमिटेड कंपनियों में शेयर तथा इक्विटी के रूप में तथा ब्लू चिप शेयर के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शीर्ष दस कंपनियों-वार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के और कर्मचारियों को लाने हेतु कोई प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इस पर क्या मत है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निफ्टी 50, सेन्सेक्स तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(सीपीएसई) तथा भारत 22 सूचकांकों के आधार पर विनिमय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनियों के शेयरों और इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख): सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 86,966 करोड़ रुपये है।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में केवल इक्विटी और संबंधित निवेशों के वर्ग में विनिमय व्यापार निधि(ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो या तो अधिनियम की अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो। देश में सभी पात्र कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा के लाभों का विस्तार करने के लिए, कवर करने योग्य प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत स्कीमों के छत्र में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, कवरेज हेतु 197 उद्योग/प्रतिष्ठान वर्गों को अधिसूचित किया गया है जिससे 4.69 करोड़ अंशदाता सदस्य ईपीएफ के दायरे में लाए गए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2262

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ

2262. श्री के. सुब्बारायण:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेंशन योजना के अंशदान के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास 9,100 करोड़ रुपये बकाया है और ईपीएफओ ने दशकों से जमा हुए बकाया के भुगतान हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 और कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) स्कीम, 1976 को प्रशासित करता है। सरकार, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से के रूप में कर्मचारी के 15,000/- रूपये प्रतिमाह की वेतन सीमा तक के लिए 1.6 प्रतिशत का अंशदान करती है। इसके अतिरिक्त, ईपीएस, 1995 के पेंशनधारकों को 1000/- रूपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान कराने के लिए अपेक्षित अंतर राशि भी देती है। इसलिए पेंशन अंशदान पेंशन अंशदान के संबंध में सरकार का हिस्सा गतिशील है और लाभार्थियों की संख्या की आधार पर बदलता रहता है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2294

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

श्रम संबंधी डिजिटल प्लेटफॉर्म

2294. श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास श्रम संबंधी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नियोजित लोगों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इनके लिए कोई नया कानून या विनियमन तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों को दुर्घटनाओं के विरुद्ध बीमा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) क्या उक्त कार्य करना कंपनियों का उत्तरदायित्व है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): ऐसा कोई रिकार्ड मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ): डिजिटल प्लेटफॉर्म कामगारों को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। कंपनियों द्वारा दुर्घटना के विरूद्ध बीमा प्रदान किए जाने से संबंधित प्रावधान उनकी सेवा की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार होंगे।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3239

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफ ब्याज

3239. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 8.65 प्रतिशत तक बढा दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में 2015-16 की ब्याज दर कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ईपीएफ योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं और इससे क्या लाभ मिले हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां।

(ख) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों के खातों में जमा की जाने वाली ब्याज दर विशेष वित्तीय वर्ष के लिए समस्त आय और देयताओं पर आधारित होती है।

(घ): वर्ष 2018-19 के दौरान ईपीएफ योजना, 1952 के तहत सदस्यों की संख्या 22,91,93,593 है और इसके लाभों के किए गए निपटानों की संख्या 1,15,21,930 है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3244

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को यू.ए.एन.

3244. श्री खगेन मुर्मु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बिना उनके नियोजक पर निर्भर हुए उन्हें सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) सृजित करने की सुविधा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा से इन कर्मचारियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखानों और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर लागू होता है।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, कवरेज हेतु 197 उद्योगों/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है जिससे 4.69 करोड़ अंशदाता सदस्य ईपीएफ के दायरे में लाए गए हैं।

प्रतिष्ठानों को संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ईपीएफओ ने ईपीएफ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के कामगारों को समर्थ बनाने के लिए एक सुविधा आरम्भ की है जिससे वे सीधे ऑनलाइन सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) यूएएन भविष्य निधि, पेंशन तथा जीवन बीमा कामगारों का नामांकन सुनिश्चित करता है।

(ii) कामगार यूएएन प्राप्त करने के लिए अब अपने नियोक्ता पर आश्रित नहीं है।

(iii) यूएएन के लिए किसी भी पात्र कामगार को मना नहीं किया जा सकता।

(iv) कामगार को वैधता के लिए अपने नियोक्ता के साथ अपना आधार साझा करने की आवश्यकता नहीं है।

(v) नियोक्ता कामगार द्वारा प्राप्त किए गए यूएएन को अंशदानों के भुगतान के लिए सहबद्ध कर सकता है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3275

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

उपदान की अधिकतम सीमा

3275. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार ने उपदान की सीमा 10 लाख से बढाकर कर 20 लाख कर दी है जो सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1.1.2016 से प्रभावी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर उपदान भुगतान की सीमा को दोगुना करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 29.03.2018 से प्रभावी रूप से निजी और सरकारी क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए बढा हुआ उपदान कार्यान्वित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भेदभाव और दोहरे मानकों के क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति 01.01.2016 से कर्मचारियों के उपदान की सीमा को बढाने के लिए क्या सुधरात्मक कदम उठाए गये हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा को दिनांक 01.01.2016 से 10 लाख रूपये से बढाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है।

(ख) से (ङ): दिनांक 01.01.2016 के पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियम के अंतर्गत बढ़े हुए उपदान का लाभ प्रदान करने का अनुरोध के संबंध में व्यक्ति विशेष, एसोसिएशनों, लोक प्रतिनिधियों से पत्र/अभिवेदन/शिकायतें आदि प्राप्त हुई हैं।

दिनांक 28.03.2018 को संसद द्वारा उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के उपरांत, अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 29.03.2018 से प्रभावी उपदान की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये कर दिए जाने संबंधी तद्नुरूपी अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 को सरकार द्वारा जारी की गई थी। पूर्व अवसरों पर भी, उपदान राशि की सीमा को भावी तारीख से ही बढ़ाया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3293

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

नैमित्तिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

3293. श्री जी. सेल्वम:

श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र, दोनों में नैमित्तिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि श्रम-कानूनों के बावजूद, देश में नैमित्तिक मजदूरों को बुनियादी चिकित्सा और मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर नैमित्तिक मजदूरों को उनकी नियत सामाजिक स्थिति से वंचित किया जाता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में नैमित्तिक मजदूरों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नैमित्तिक/ठेका मजदूरों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): नैमित्तिक श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii)वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाना उपबंधित है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और

जारी–2/-

अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते है।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा हेतु, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 05 मार्च, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का सूत्रपात किया है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन देने के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रूपये या कम है और ईपीएफओ / ईएसआईसी/ एनपीएस के सदस्य नहीं हैं वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और समान अंशदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधि नियम, 1952 नैमित्तिक कामगारों सहित संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी अनुसूचित उद्योगों और अधिसूचित प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू होता है।

नैमित्तिक कामगार संगत श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुमत लागू के हकदार हैं जिनका प्रवर्तन केंद्रीय और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध संबंधित प्रवर्तन मशीनरी द्वारा किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) द्वारा ठेका श्रमिक (नियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1958 , मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा खान अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में, जहां पर व्यक्तियों को तीरंजादी, कलाबाजी और अन्य मंचन कलाएं दिखाने के लिए नियोजित किया जाता है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सीआरआईएम द्वारा नियमित निरीक्षण भी किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3302

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना

3302. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोश्यारी समिति ने 186 व्यापार संगठनों जो कर्मचारी पेंशन योजना (ईवीएस) के अंतर्गत कवर है, के कर्मचारियों को 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता देने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न श्रमिक संघों से अभ्यावेदन और कर्मचारियों से 9000 रुपए के साथ सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता देने की मांग प्राप्त हुई है जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया है/किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात सार्वजनिक परिवहन में छूट दिए जाने जैसे विभिन्न श्रमिक संघों की किसी अन्य मांग पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उक्त मामले में पेशनभोगियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत सरकार के हिस्से में वृद्धि में वित्तीय अवरोध और कर्मचारी पेंशन निधि की संवहनीयता को बनाए रखने के कारण 3000/- रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई भत्ते हेतु कोशियारी समिति की सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया। तथापि, सरकार ने दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों के लिए 1000/- रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना आरंभ किया है।

(ख) से (घ): व्यक्तिगत ईपीएस, 1995 पेंशनभोगियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ पेंशनभोगी संघों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एवं जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। पेंशन निधि की संवहनीयता को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिवेदनों/ मांगों पर विचार किए जाते हैं।

(ङ): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3356

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

शेयर बाजार में ईपीएफओ निवेश

3356. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यद्यपि आज ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का बाजार एक्सपोजर केवल सरकार और कॉरपोरेट फंड तक सीमित है, लेकिन 31 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इक्विटी शेयरों में निवेश करने के ईपीएफओ के इस फैसले पर मजदूर संघों ने सहमति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें कितनी राशि निवेश की जानी है और इसके अस्थिर बाजार के कारण इक्विटी में निवेश की जाने वाली राशि के मूलधन और लाभांश को सुरक्षित करने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकार की निवेश नीति के अनुसार अपनी निधि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण-पत्रों के अलावा विनिमय व्यापार निधि(ईटीएफ) में कर रहा है।

सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 86,966 करोड़ रुपये है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3443

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ में निवेश घोटाला

3443. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ ब्याज कमाने के लिए विभिन्न कंपनियों में अपनी निधि का निवेश करता है और यदि हां, तो ऐसे निवेश के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या हाल में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसी निधि के निवेश के संबंध में कुछ घोटाले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार और ईपीएफओ के कितने अधिकारी इस घोटाले में लिप्त पाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसकी छानबीन की है और यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है और इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश स्वरूप के अनुसार अपनी निधि का निवेश कर रहा है।

(ख) से (ड.): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किसी भी न्यास द्वारा प्रबंध की गई किसी भी निधि के संबंध में ऐसा कोई घोटाला नहीं है।

*****